

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं० 08 / 2015-2020

नई दिल्ली, दिनांक 06 मई, 2016

विषय: विदेश व्यापार नीति 2015-20 के परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों में यथाउल्लिखित एएनएफ 5क (ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र को जारी करने के लिए आवेदन-पत्र); **एएनएफ 5ख** (ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र की विमुक्ति के लिए आवेदन-पत्र); **एएनएफ 5ग** (ईपीसीजी प्राधिकार-पत्रों की क्लबिंग के लिए आवेदन-पत्र); और **परिशिष्ट 5ग** (ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र की विमुक्ति के लिए सीए/लागत लेखापाल/सीएस के प्रमाण-पत्र का प्रारूप) में संशोधन।

सां.आ. (अ):- विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-20 के परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों के संशोधित एएनएफ5क, एएनएफ 5ख, एएनएफ 5ग और परिशिष्ट 5ग को अनुलग्नक के अनुसार अधिसूचित करते हैं। ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

**इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** विदेश व्यापार नीति 2015-20 के संशोधित परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के एएनएफ 5क, एएनएफ 5ख, एएनएफ 5ग और परिशिष्ट 5ग को अनुलग्नक में यथा उल्लिखित रूप से अधिसूचित किया गया है।

(अनूप वधावन)  
महानिदेशक, विदेश व्यापार  
ईमेल: dgft@nic.in

(फा०सं० 01 / 94 / 180 / 335 / एएम 15 / पीसी-4 / पीसी-6 से जारी)

आयात निर्यात प्रपत्र-5 क

ईपीसीजी/निर्यात पश्चात ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु आवेदन-पत्र  
(कृपया आवेदन भरने से पूर्व दिशा-निर्देश देखें)

1.	के लिए आवेदन	कृपया ✓ का निशान लगाएँ
----	--------------	------------------------

क.	ईपीसीजी स्कीम	
ख.	निर्यात पश्चात ईपीसीजी स्कीम	

2.	आईईसी संख्या		ब्राँच कोड	
	घोषणा: मैंने/हमने एएनएफ-1 में मेरे/हमारे प्रोफाइल को अद्यतन कर लिया है।			

3.	आवेदक की फैक्ट्री/परिसर का पता जहाँ पर आयातित पूंजीगत माल को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।	

4.	उत्पाद-शुल्क पंजीकरण विवरण	
क.	उत्पाद-शुल्क पंजीकरण सं० (यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय में पंजीकृत है)	
ख.	पंजीकरण की तिथि	
ग.	क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी का पता (दिया जाना है चाहें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय के पास पंजीकृत है अथवा नहीं)	
5.	पंजीकरण का पत्तन (आयात के प्रयोजनार्थ)	

6.	आवेदन-शुल्क अदायगी का ब्यौरा	
क.	राशि (रु० में)	
ख.	अदायगी का तरीका (बैंक रसीद/इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड)	
ग.	(बैंक रसीद की क्र. सं./ईएफटी सं./क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड)	

	विवरण और अदायगी की तिथि)	
7.	सेवा कर पंजीकरण का ब्यौरा (सेवा कर प्राधिकारियों के पास पंजीकृत सेवा प्रदायकों के मामले में)	
क.	सेवा कर पंजीकरण सं०	
ख.	पंजीकरण की तारीख	
ग.	क्षेत्राधिकारी सेवा कर प्राधिकरण का पता	
घ.	सेवा जिसके लिए पंजीकृत किया गया है	

8. स्कीम के तहत आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल का क्षेत्रवार वर्गीकरण (कृपया $\sqrt$ का निशान लगाएँ)		
क.	औद्योगिक क्षेत्र	
ख.	कृषि क्षेत्र	
ग.	सेवा क्षेत्र	
घ.	हरित प्रौद्योगिकी क्षेत्र	
ड.	पूर्वोत्तर क्षेत्र/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर में यूनिटें	

9. निर्यात किए जाने वाले उत्पाद/प्रदान की जाने वाली सेवाएँ	आईटीसी (एचएस) कोड/सेवा कोड

10.	पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में किए गए उसी/वैसे ही उत्पाद/सेवा के निर्यात का ब्यौरा (वैध निर्यात दायित्व अवधि के अंदर ईपीसीजी प्राधिकार-पत्रों के संबंध में विशिष्ट निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए निर्यात जिनकी गणना कर ली गई है/की जा रही है, को छोड़कर)	
क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	उसी/वैसे ही उत्पाद/सेवा के लिए किए गए निर्यातों /सेवाओं का कुल पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (करोड़ ₹0 में)
1		
2		
3		
	कुल	
	*औसत निर्यात निष्पादन	

\* यदि कोई आवेदक तीन वर्षों से कम समय से मौजूद है तो कुल निर्यात को उन वर्षों की संख्या द्वारा विभाजित किया जाएगा जबसे कंपनी मौजूद है न कि तीन वर्षों द्वारा।

11.	ई पी सी जी प्राधिकार पत्रों का ब्यौरा जहाँ पर निर्यात दायित्व लंबित है							
	क्र. सं.	प्राधिकार पत्र सं. व तिथि	आर ए जिसने प्राधिकार पत्र जारी किया	बचाए गए शुल्क/चुकाए गए शुल्क की राशि (रु0 में)	बचाए गए शुल्क/चुकाए गए शुल्क राशि पर निर्धारित किया गया निर्यात दायित्व (मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में/ (रु0 में)	पूरा किया गया विशिष्ट निर्यात दायित्व	वार्षिक औसत निर्यात दायित्व (रु0 में)	निर्यात दायित्व अवधि समाप्त होने की तारीख
12.	क्र. सं.	आयात की मद का विवरण	आईटीसी (एचएस) कोड	आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल का प्रकार*	मात्रा	आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल का प्राथमिक प्रयोग**		

\* क्या पूंजीगत माल/स्पेयर्स/टूल्स/जिग्स/फिक्सचर्स/डाइज/मोल्ड्स/स्पेयर रिफैक्ट्रीज/कैटलिस्ट/कंप्यूटर साफ्टवेयर सिस्टम हैं (विनिर्दिष्ट करें यदि कोई अन्य हो)

\*\* क्या इनको उत्पादन-पूर्व गतिविधियों/उत्पादन गतिविधियों/उत्पादन पश्च गतिविधियों/सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रयोग किया गया है

13. क्या आयात किए जाने वाला उत्पाद आयात के लिए प्रतिबंधित है- हाँ/नहीं

(यदि हाँ, डीजीएफटी मुख्यालय से ईएफसी अनुमोदन की एक प्रति संलग्न करें)

14.	आयात के लिए आवेदित प्रतिबंधित पूंजीगत माल का ब्यौरा				
	क्र0 सं0	आयात की मद का विवरण	आईटीसी (एचएस) कोड	आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल का प्रकार *	आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल का प्राथमिक प्रयोग **

\* क्या पूंजीगत माल/स्पेयर्स/टूल्स/जिग्स/फिक्सचर्स/डाइज/मोल्ड्स/स्पेयर रिफैक्ट्रीज/कैटलिस्ट/कंप्यूटर साफ्टवेयर सिस्टम हैं (विनिर्दिष्ट करें यदि कोई अन्य हो)

\*\* क्या इनको उत्पादन-पूर्व गतिविधियों/उत्पादन गतिविधियों/उत्पादन पश्च गतिविधियों/सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रयोग किया गया है।

(उपर्युक्त क्रम सं0 13 और 14 पर जो लागू हो उसे भरें। यदि आवेदक दोनों प्रतिबंधित और मुक्त रूप से आयात योग्य पूंजीगत माल का आयात करना चाहता है तो दोनों कालम में समुचित जानकारी दी जानी चाहिए)

15. क्या निर्यात किया जाने वाला उत्पाद निर्यात के लिए प्रतिबंधित है- हाँ/नहीं  
(यदि हाँ, तो डीजीएफटी मुख्यालय से ईएफसी अनुमोदन की एक प्रति संलग्न करें)

16.	शुल्क का ब्यौरा		
	आयात की जाने वाली मदों पर कुल प्रभावकारी सीमा शुल्क (% में)	आयातों/स्वदेशी रूप से प्राप्त पूंजीगत माल का सीआईएफ मूल्य (रु0 में)	बचाए गए शुल्क की राशि (रु0 में)
	1	2	3

टिप्पणी:- पूंजीगत माल के स्वदेशी प्रापण के मामले में, विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.07 के अनुसार पूंजीगत माल के एफओआर पर बचाए गए अनुमानित सीमा शुल्क पर बचाए गए शुल्क की गणना की जाएगी।

17.	निर्यात-पश्च ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के मामले में शुल्क का विवरण			
	आयात की जाने वाली मदों पर कुल प्रभावकारी सीमा शुल्क (% में)	मूल्य सीमा शुल्क	आयातों/स्वदेशी रूप से प्राप्त पूंजीगत माल का सीआईएफ मूल्य (रु0 में)	अदा किया गया शुल्क (रु0 में)

18.	अध्यारोपित किए गए निर्यात दायित्व का विवरण			
	बचाया गया कुल शुल्क/अदा किया गया शुल्क (रु.)	अध्यारोपित किया जाने वाला विशिष्ट दायित्व	यूएस डालर	अध्यारोपित किया जाने वाला औसत निर्यात दायित्व
		रु0	यूएस डालर	रु0

19.	आवेदक अथवा सहायक विनिर्माता के फ़ैक्ट्री/परिसर का पता जहाँ आयात किया जाने वाला पूंजीगत माल अधिष्ठापित किया जाना प्रस्तावित है।

20	यदि आयात किए जाने वाले प्रस्तावित पूंजीगत माल का सहायक विनिर्माता द्वारा प्रयोग किया जाना है तो कृपया बताएँ		
	क.	नाम	
	ख.	पता	

ग.	एमएसएमई/आईईएम/एलओआई/आईएल की पंजीकरण सं० व तिथि	
घ.	एमएसएमई/एलओआई/आईएल/आईईएम पर पृष्ठांकित उत्पाद	
ड.	उत्पाद शुल्क पंजीकरण संख्या और जारी करने वाला प्राधिकारी (यदि लागू हो) :	

21.	क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्राधिकारी का डाक का पता जिसके क्षेत्राधिकार में आयातक/सहायक विनिर्माता की फैक्ट्री/परिसर में जहाँ पर आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल को स्थापित किया जाना है।
-----	---

### घोषणा/वचनबद्धता

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि

1. इस आवेदन में दिये गये ब्यौरे और विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक हैं तथा इसके कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है। यदि दी गई कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।
2. मैं/हम समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992, इसके तहत बने नियमों व आदेशों, विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तकों तथा निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के प्रावधानों को पालन करने की शपथ लेता हूँ/लेते हैं।
3. फर्म/कंपनी में कोई भी स्वामी/साझीदार (साझीदारों)/निदेशक (निदेशकों)/कर्ता/न्यासी विदेश व्यापार महानिदेशालय की जानकारी में प्रतिकूल है अथवा आरबीआई की चेतावनी सूची में नहीं है।
4. मैं/मेरी जानकारी के अनुसार कोई भी स्वामी/साझीदार(साझीदारों)/निदेशक (निदेशकों)/कर्ता/फर्म का न्यासी/कंपनी, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य फर्म/कंपनी में स्वामी/साझीदार (साझीदारों)/निदेशक (निदेशकों)/कर्ता/न्यासी नहीं है जो कि विदेश व्यापार महानिदेशक की जानकारी में प्रतिकूल है अलावा आरबीआई की चेतावनी सूची में है।
5. न तो फर्म/कंपनी का पंजीकृत कार्यालय/मुख्य कार्यालय और न ही इसकी कोई शाखा कार्यालय/यूनिट/प्रभाग को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधानों के अधीन आयात/निर्यात के लिए अयोग्य किया गया है।
6. मैं/हम स्कोमैट सूची पर मदों का निर्यात नहीं करेंगे जिसके लिए प्राधिकार पत्र नहीं लिया गया है।

7. मैं/हम सेवाकर की सीमा में नहीं आते हैं और इसलिए सेवाकर प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं है (सेवा प्रदायक, जो सेवाकर के तहत नहीं आते हैं, के मामले में)।
8. उस माल के संबंध में जिसके लिए बाद में कोई संबंध स्थापित नहीं होता है, मैं/हम ऐसे आयातित माल पर बचाए गए सीमाशुल्क (लागू ब्याज सहित) सरकार को भुगतान करूंगा/करेंगे, जिसका निर्यातित उत्पाद या प्रदान की गयी सेवा से कोई संबंध नहीं है।
9. मैं/हम भेषज उत्पाद (उत्पादों) के निर्यात के मामले में ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर 'औषध विनिर्माण लाइसेंस' की स्वतः प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करूंगा/करेंगे। ऐसा न करने पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों/विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय प्राधिकारियों, जैसा भी मामला हो, को पूंजीगत माल की निकासी के समय प्रस्तुत की गई बैंक गारण्टी/विधिक वचनबद्धता जब्त/रद्द कर दी जाएगी और मैं/हम प्रथम आयात की तारीख से अन्तिम भुगतान की तारीख तक सीमाशुल्क की बचाई गई राशि उस पर लागू ब्याज के साथ अदा करने के हकदार होऊंगा/होंगे।
10. विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.06 के अनुसार मैं इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

स्थान		आवेदक के हस्ताक्षर	
दिनांक		नाम	
		पदनाम	
		कार्यालय पता	
		आवासीय पता	
		ई-मेल	
		फोन (कार्या.)	

### आवेदक के लिए दिशा-निर्देश

1. आवेदन-पत्र डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।
2. आवेदक नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे:-
  - क. परिशिष्ट 2ट के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करने के साक्ष्य के रूप में बैंक रसीद (यदि शुल्क को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अदा नहीं किया गया है)
  - ख. उत्पादों के मामले में एमएसएमई/आईईएम/एलओआई/आईएल की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि या सेवा प्रदायकों के मामले में सेवा कर पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रति। (सेवा प्रदायकों के मामले में जो सेवा कर प्राधिकारियों के पास पंजीकृत न हों, वे इस संबंध में आवेदन के एक भाग के रूप में घोषणा (घोषणा सं0 7) देंगे।

सेवाकर पंजीकरण देने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में संबंधित ईपीसी द्वारा जारी आरसीएमसी काफी है)।

- ग. परिशिष्ट 5क में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सनदी अभियंता से एक प्रमाण-पत्र।
  - घ. परिशिष्ट 5ख में सनदी लेखपाल/लागत लेखपाल/कंपनी सचिव से प्रमाण-पत्र।
  - ड. मौजूदा संयंत्र और मशीनरी के लिए पुर्जों, उपकरणों, उत्प्रेरकों के आयात के मामले में आवेदक फर्म/सहायक विनिर्माता जिसके लिए उपर्युक्त मदों की आवश्यकता है, कारखाना/परिसर में पहले से अधिष्ठापित आयातित संयंत्र/मशीनरी की सनदी अभियन्ता या क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित सूची।
  - च. ईओयू/एसईजैड यूनिटों द्वारा प्रस्तुत किए गए ईपीसीजी आवेदनों के मामले में संबंधित विकास आयुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति जिसमें आवेदक फर्म द्वारा आयातित/स्वदेशी रूप से प्राप्त पूंजीगत माल, आयात/सोर्सिंग के समय उसका मूल्य और स्कीम के तहत शुल्क के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए मूल्यहास के ब्यौरे प्रस्तुत करें।
3. अगर आयातित किए जाने वाला पूंजीगत माल निर्यात की जाने वाली मद प्रतिबंधित श्रेणी में हो, तो इस आवेदन की एक प्रति डीजीएफटी मुख्यालय में ईएफसी को भी भेजी जाएगी। (ऐसे मामलों में मुख्यालय में ईएफसी को भेजते समय कोई अलग से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा) ईएफसी द्वारा स्वीकृति मिलने के पश्चात क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा ईपीसीजी प्राधिकार पत्र इस पृष्ठांकन के साथ जारी कर दिया जाएगा कि ईएफसी ने प्रतिबंधित पूंजीगत माल/निर्यात मद के लिए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जारी करने का अनुमोदन कर दिया है।



**एएनएफ- 5ख**

ईपीसीजी प्राधिकार पत्र/निर्यात पश्च ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की विमुक्ति हेतु आवेदन-पत्र।

(कृपया आवेदन-पत्र भरने से पहले दिशा-निर्देशों को देखें)

1.	आवेदक का ब्योरा	
----	-----------------	--

क.	आईटीसी संख्या		ब्राँच कोड	
ख.	नाम			
ग.	पता			

2.	ईपीसीजी प्राधिकार पत्र संख्या और दिनांक	अनुमत शुल्क से बचायी गई राशि (भारतीय रुपये में)	प्रयुक्त शुल्क से बचायी गई राशि (स्वदेशी रूप से प्राप्त पूंजीगत माल सहित)

3.	अधिष्ठापन प्रमाण पत्र का विवरण		
	बीई सं०	बीई की तिथि	*सीजी के अधिष्ठापन की तिथि
क्र. सं.			

\* यदि आवेदक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में पंजीकृत है तो दिनांक 1.4.2015 से पूर्व जारी प्राधिकार पत्र हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण से प्राप्त अधिष्ठापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। दिनांक 1.4.2015 के बाद जारी प्राधिकार पत्रों के लिए आवेदक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण अथवा स्वतंत्र सनदी अभियन्ता द्वारा जारी अधिष्ठापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

4.	निर्यात उत्पाद विवरण		
	क.	ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के अनुसार निर्यात उत्पाद/सेवाएं [निर्यात उत्पाद के आईटीसी (एचएस) कोड सहित]	
	ख.	वैकल्पिक उत्पाद सेवाएं यदि अनुमत हो, का नाम और उत्पाद का आईटीसी (एचएस) कोड	
5.	निर्यात दायित्व अवधि:		
	क.	प्रारंभिक निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तिथि	
	ख.	बढ़ाई गई ईओपी तारीख, यदि कोई हो	

	ग. वास्तविक निर्यात दायित्व पूरा करने की तारीख		
6.	लगाया गया औसत निर्यात दायित्व**	वास्तविक शुल्क बचत राशि के अनुसार विशिष्ट ईओ	
	भारतीय रु० में	भारतीय रु० में	अमरीकी डॉलर में

\*वैकल्पिक उत्पाद के निर्यात दायित्व को पूरा करने के मामले में वैकल्पिक उत्पाद का औसत निर्यात दायित्व भी दिया जाए।

7.	विशिष्ट निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए प्राधिकार पत्र धारक अथवा उसके सहायक विनिर्माता द्वारा विनिर्माण किए गए माल हेतु किए गए वास्तविक निर्यात/मान्य निर्यात/दी गई सेवाओं का ब्यौरा
----	--

क्र. सं.	निर्यातित/आपूर्तित उत्पाद/दी गई सेवाएं आईसीसी(एचएस) कोड सहित	पोतलदान बिल/निर्यात बिल/वाऊचर/बीजक/ सीटी 3/एआरई 3/ लॉरी रसीद/रेलवे रसीद/एफआईआरसी सेवा प्रदाता इत्यादि का ब्यौरा***।				पोत पर्यन्त निःशुल्क (एफएफई में)/रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य			
	सदृश उत्पाद/सेवाएँ वैकल्पिक उत्पाद/सेवाएँ	संख्या	तारीख	प्रत्यक्ष निर्यात	तृतीय पार्टी निर्यात** *	मान्य निर्यात	समूह कम्पनी द्वारा	अन्य आर एंड डी सेवाएं/रायल्टी	योग

\*\*\* दिनांक 1.4.2015 को अथवा इसके पश्चात तृतीय पक्ष द्वारा किए गए निर्यात हेतु प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के पैरा 5.10 (घ) के अनुसार दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

8.	मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि हमने औसत निर्यात दायित्व को बनाए रखने के लिए निम्नानुसार निर्यात किया है। ***	औसत निर्यात दायित्व को पूरा करने हेतु पोतलदान बिलों का ब्यौरा	
	वित्तीय वर्ष	बरकरार रखे जाने वाला औसत	बरकरार औसत (भारतीय रुपये में)

\*\*\*\* क्रम सं० 8 में उल्लिखित निर्यात में उपर्युक्त क्रम सं० 7 में सम्मिलित निर्यात को शामिल नहीं किया गया है तथा किसी अन्य ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के विशिष्ट निर्यात दायित्व को बरकरार रखने के लिए किए गए निर्यात को शामिल नहीं किया गया है।

## घोषणा/वचनबद्धता

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि:

1. मैं/हमने एएनएफ-1 में अपने प्रोफाइल को अद्यतन कर लिया है।
2. इस आवेदन में दिए गए ब्यौरे और विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक हैं तथा इससे कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है और आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।
3. मैं/हमने निर्यात हेतु प्रतिबंधित स्कोमेट सूची/मदों में से मदों का निर्यात नहीं किया है जिसके लिए अनुमति नहीं ली गई है।
4. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि इस प्राधिकार पत्र के मद्दे विशिष्ट निर्यात दायित्व हेतु गिने जाने वाले निर्यात का किसी अन्य ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के मद्दे वार्षिक औसत निर्यात निष्पादन/विशिष्ट निर्यात दायित्व को पूरा करने हेतु दावा/गिना नहीं गया है।
5. यह प्रमाणित किया जाता है कि (क) मैंने एफआईआरसी की जाँच की है तथा (ख) प्राप्त की गई राशि को ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के मद्दे निर्यात दायित्व को पूरा करने हेतु अनुमत सेवाओं के निर्यात हेतु उपयोग किया गया है।
6. कॉलम 7 और 8 में उद्धृत समस्त वास्तविक निर्यात मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में किया गया है।
7. हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि आवेदन में यथा उल्लिखित माल भाड़ा, बीमा और कमीशन राशि वास्तविक सौदा मूल्यों पर आधारित है।
8. हम आगे यह घोषणा करते हैं कि पात्रता की गणना के हेतु कमीशन राशि को गिना नहीं गया है।
9. मैं विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.06 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

स्थान .....

आवेदक के हस्ताक्षर

तिथि .....

नाम

पद

कार्यालय का पता

दूरभाष/मोबाइल

आवासीय पता

ई मेल

10. सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल/कंपनी सचिव की मोहर और हस्ताक्षर सहित।

## आवेदक के लिए दिशा-निर्देश

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं—

1. आवेदन पत्र के साथ सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल/कंपनी सचिव द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित परिशिष्ट 5ग को एक विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए जिसमें प्राधिकार पत्र धारक द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों का ब्यौरा दिया जाएगा।
2. अनुलग्नकों सहित मूल ईपीसीजी प्राधिकार पत्र।
3. स्वदेशी रूप से अधिप्राप्त पूंजीगत माल संबंधी आयात/बीजकों से संबंधित प्रविष्टि बिल की स्वप्रमाणित प्रतियाँ।
4. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग/स्वतंत्र सनदी अभियन्ता द्वारा जारी अधिष्ठापन प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो। जहाँ आयातित/स्वदेशी रूप से अधिप्राप्त पूंजीगत माल छः मास से अधिक पुराना हो तो विलम्ब के साक्ष्य/कारणों का उल्लेख करें।
5. तृतीय पक्ष के निर्यात के संबंध में प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 5.10 (घ) के अनुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करें।
6. आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

**एएनएफ- 5ग**

(ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग हेतु आवेदन-पत्र)

कृपया एचबीपी का पैरा 5.27 देखें

कृपया आवेदन-पत्र भरने से पहले दिशा-निर्देशों को देखें)

1.	आवेदक का ब्यौरा		ब्रांच कोड	
	क.	आईईसी संख्या		
	ख.	नाम		
	ग.	पता		

2.		क्लब किए जाने वाले ईपीसीजी प्राधिकार पत्र का ब्यौरा			
	क्रम सं०	ईपीसीजी प्राधिकार पत्र	पंजीकरण पत्तन	सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या	निर्यात उत्पाद/दी जाने वाली सेवाएं
		सं०	तारीख		
	1	2	3	4	5

अनुमत शुल्क बचत राशि	प्रयुक्त शुल्क बचत (रुपयों में)	प्राधिकार पत्र पर विशिष्ट निर्यात दायित्व पृष्ठांकन (अमरीकी डॉलर में)	उपयोगिता के अनुसार विशिष्ट निर्यात दायित्व (अमरीकी डॉलर में)	पूर्ण किया गया निर्यात दायित्व (अमरीकी डॉलर में)
7	8	9	10	11

3. क्लबिंग के बाद ईपीसीजी प्राधिकार पत्र का ब्यौरा।

	क.	आयातों पर कुल बचाया/अनुमानित शुल्क रुपये में	
	ख.	प्राधिकार पत्र पर लगाया गया निर्यात दायित्व	
		(i) भारतीय रुपयों में	
		(ii) मुक्त विदेशी मुद्रा में	
	ग.	लगाए गए औसत निर्यात दायित्व (रु० में)	
	घ.	निर्यात उत्पाद (उत्पादों)/दी गई सेवाओं का विवरण	

## घोषणा / वचनबद्धता

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि:

1. मैंने / हमने एएनएफ-1 में अपने प्रोफाइल को अद्यतन कर लिया है।
2. कि इस आवेदन में दिए गए ब्यौरे और विवरण मेरी / हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक हैं तथा इससे कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है। आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।
3. फर्म / कम्पनी में कोई भी साझेदार (साझीदारों) का / निदेशक (निदेशकों) / कर्ता / स्वामी विदेश व्यापार महानिदेशालय की जानकारी में प्रतिकूल अथवा आरबीआई की चेतावनी सूची में नहीं है।
4. मेरी जानकारी के अनुसार फर्म / कम्पनी कोई भी साझीदार (साझीदारों) का / निदेशक (निदेशकों) / फर्म का न्यासी / कर्ता / स्वामी जैसा भी मामला हो, किसी अन्य फर्म / कंपनी में साझीदार का / निदेशक / कर्ता / न्यासी नहीं है जो कि विदेश व्यापार महानिदेशालय की जानकारी में प्रतिकूल है अथवा आरबीआई की चेतावनी सूची में है।
5. न तो कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय / फर्म का मुख्यालय और न ही इसके कोई शाखा कार्यालय / यूनिट / प्रभाग को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधानों के अधीन आयात / निर्यात के लिए अयोग्य किया गया है।
6. मैंने स्कोमैट सूची में दी गई वस्तुओं / निर्यात के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं पर जिसके लिए अनुमति नहीं ली गई है, का निर्यात नहीं किया है।
7. विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.06 के अनुसार मैं इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

पदनाम .....

पद नाम.....

कार्यालय का पता .....

दूरभाष / मोबाईल सं. ....

घर का पता .....

ई मेल .....

## आवेदक के लिए दिशा निर्देश

आवेदक को ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र की क्लबिंग के लिए आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे और आवेदन-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ को आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

1. आवेदन के साथ ईपीसीजी प्राधिकार पत्र मूलरूप में संलग्न होना चाहिए।
2. आयात के संबंध में प्रविष्टि बिल स्वदेशी रूप से प्राप्त पूंजीगत माल के संबंध में बीजक की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ।
3. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग/सनदी अभियन्ता द्वारा जारी अधिष्ठापन प्रमाण-पत्र, जैसा भी मामला हो। जहाँ पर आयातित/स्वदेशी रूप से प्राप्त पूंजीगत माल का अधिष्ठापन छः माह से पुराना हो, विलम्ब का दस्तावेजी प्रमाण/कारण।
4. तृतीय पक्ष निर्यातों के संबंध में एचबीपी 2015-20 के पैरा 5.10 (घ) के अनुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेज।
5. निर्यात दायित्व पूर्ति के प्रमाण के लिए प्राधिकार पत्र धारक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के ब्यौरे में दिए जाने वाले विवरण के साथ सनदी लेखपाल/लागत लेखपाल/कंपनी सचिव द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित निर्यात दायित्व पूर्ति की स्थिति।

## परिशिष्ट-5ग

### सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल/कम्पनी सचिव का प्रमाण पत्र

#### (ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की विमुक्ति/निर्यात पश्च ईपीसीजी शुल्क साख पत्र जारी करने के लिए)

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने मैसर्स.....  
जिनकी प्राधिकार पत्र संख्या.....है, का.....  
निर्धारित रजिस्ट्रों व रिकार्डों की भी जांच कर ली है और मैं/हम एतद्वारा सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि:

I. आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज और रिकार्ड प्रस्तुत किए गए हैं और मेरे/हमारे द्वारा उसकी जाँच की गई है और उन्हें सत्यापित किया गया है :-

(क) मान्य निर्यात के लिए :

(i) यह दर्शाते हुए कि आपूर्तियाँ प्राप्त हो गई हैं, संबंधित निर्यातोन्मुख एकक के बॉन्ड कार्यालय द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित मध्यवर्ती आपूर्ति अथवा आपूर्ति बीजक अथवा एआरई 3 के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्रों के एआरओ/बैंक टू बैंक इनलैंड साख पत्र की प्रतिलिपि।

(ii) परिशिष्ट 7घ में दिए गए प्रपत्र में ई-बीआरसी, सामान्य बैंकिंग माध्यम के द्वारा भुगतान प्राप्त कर लेने से संबंधित अथवा संबंधित परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी भुगतान प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।

(ख) माल के निर्यात के लिए:

(i) निर्यात आदेश/संविदा,

(ii) शिपिंग बिल/तृतीय पक्ष शिपिंग बिल (दिनांक 01.04.2015 को अथवा उसके बाद किए गए निर्यात के लिए प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 5.10 (घ) में प्रदान किए गए सहायक दस्तावेजों के साथ) बिल ऑफ एक्सपोर्ट/एयरवेज बिल/पीपी रसीदें

(iii) बिल ऑफ लेडिंग

(iv) सीमा शुल्क/बैंक द्वारा सत्यापित बीजक,

(v) ईबीआरसी/निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाण पत्र,

(vi) जीआर घोषणा तथा

(vii) संबंधित लेखा पुस्तिकाएँ।

(ग) सेवाओं के निर्यात के लिए:

(i) ईबीआरसी/विदेशी मुद्रा सीधे अर्जन का बैंक प्रमाण पत्र,

(ii) जीआर घोषणा पत्र,

(iii) फॉरेन इनवर्ड रैमिटैन्स प्रमाण पत्र (एफआईआरसी)

(iv) इन्टरनेशनल क्रेडिट कार्ड कम्पनी से प्रमाण पत्र,



(v) अप्रत्यक्ष स्रोतों के लिए सीए सर्टिफिकेट,

(vi) विदेशी मुद्रा अर्जन तथा संबंधित लेखा पुस्तकों का बैंकर/सनदी लेखाकार से प्रमाणित विवरण

II. विभिन्न अधिनियमों व नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित संबंधित लेखांकन और वित्तीय रजिस्टर बनाये गये हैं जो कि मेरे/हमारे द्वारा मुहर और हस्ताक्षर से अनुरक्षित/प्रमाणित किये गये हैं।

III. मैं/हम एतद्वारा सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि विशिष्ट निर्यात दायित्व के संबंध में पोतलदान बिलों में दिए गए संगत ईपीसीजी प्राधिकार पत्र संख्या और तारीख की जाँच कर ली गई है। यदि पोतलदान बिल, जिसमें ईपीसीजी प्राधिकार पत्र संख्या और तारीख नहीं दी गई है, तो प्राधिकार पत्र धारक से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया गया है कि इस ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र के तहत निर्दिष्ट ईओ को पूरा करने के लिए किए गए निर्यात को कोई अन्य ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र को या तो विशिष्ट अथवा औसत ईओ को पूरा करने के लिए माना नहीं जाएगा। आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि शपथ-पत्र में उल्लिखित शिपिंग बिल, थर्ड पार्टी शिपिंग बिल/निशुल्क शिपिंग बिल नहीं है।

प्राधिकार पत्र धारक द्वारा ईओ की पूर्ति के साक्ष्य संबंधी प्रस्तुत दस्तावेजों के ब्यौरे का विवरण और शपथ-पत्र (यदि कोई हो) संलग्न हैं।

IV. न तो मैं और न ही मेरा/हमारा कोई साझीदार उपर्युक्त कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनियों का अथवा उसकी समूह कंपनियों का साझीदार, निदेशक अथवा कर्मचारी है।

V. मैं/हम पूर्णतया ऐसा समझता हूँ/समझते हैं कि इस प्रमाणपत्र में दिया गया कोई बयान यदि गलत या झूठा सिद्ध होता है तो मैं/हम किसी दण्ड या अन्य परिणामों जो कि कानून में या अन्यथा निर्धारित हो, के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होंगे।

(हस्ताक्षर और हस्ताक्षरकर्ता का मुहर/सील)  
(सनदी लेखपाल/लागत लेखपाल/कंपनी सचिव)

हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

सदस्य सं०:

स्थान:

दिनांक:

निम्नलिखित दस्तावेज अथवा क्रम सं. (1) में उल्लिखित रिकार्ड का रखरखाव/प्रस्तुत, जाँच अथवा सत्यापन नहीं किया गया है :-

1.

2.

टिप्पणी:

इस अनुलग्नक का प्रत्येक पृष्ठ सनदी लेखपाल/लागत लेखपाल/कंपनी सचिव द्वारा पंजीकरण संख्या के साथ हस्ताक्षरित होना चाहिए।